भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1221

(13 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के तहत जॉब कार्ड हटाया जाना

1221. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि आधार को बैंक खातों से न जोड़ने के कारण लगभग 5 करोड़ लोगों के मनरेगा जॉब कार्ड हटा दिए गए हैं, यदि नहीं तो इसका कारण क्या है;

(ख) जिनके मनरेगा जॉब कार्ड, आधार को बैंक खातों से न जोड़ने के कारण हटा दिए गए हैं , उन लोगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे मनरेगा कामगारों की राज्य-वार सूची क्या है जिन्हें बैंक खातों के साथ आधार लिंक न होने के कारण मजदूरी से वंचित कर दिया गया है; और

(घ) बैंक खातों को आधार से न जोड़ने पर मनरेगा जॉब कार्ड को हटाने का कानूनी आधार क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (घ): जॉब कार्डों को अयतित करना/निरस्त करना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाने वाली एक नियमित प्रक्रिया है। आधार को बैंक खातों के साथ न जोड़ने के कारण जॉब कार्ड निरस्त नहीं किए जाते हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 (07.12.2023 तक) में कुल 68.36 लाख जॉब कार्ड निम्नलिखित कारणों से निरस्त किए गए हैं: (i) फर्जी जॉब कार्ड (त्रुटि पूर्ण जॉब कार्ड) , (ii) नकली जॉब कार्ड, (iii) काम करने का इच्छुक न होना (iv) परिवार का ग्राम पंचायत से स्थायी रूप से कहीं और चले जाना और (v) जॉब कार्ड में एक व्यक्ति का नाम होना और उसकी मृत्यु हो जाना।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत लाभार्थियों को खाता आधारित और आधार आधारित भुगतान ब्रिज प्रणाली के माध्यम से भुगतान किया जाता है। यदि कोई लाभार्थी आधार आधारित भुगतान ब्रिज प्रणाली के लिए सक्षम नहीं है, तो भुगतान करने के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है।